

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-129/2020 (2020/00665)  
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

दर्ज दिनांक 4.12.2020

शीर्षक

1. नारायण पिता उदेराम तेली
2. श्रीमती संतोकी बेवा उदेराम तेली
3. श्रीमती डाली पुत्री उदेराम तेली
4. श्रीमती सुगना पुत्री उदेराम तेली
5. सुरेश पिता उदेराम तेली

सर्व निवासी लाखोला तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

---प्रार्थीगण

बनाम

1. भेरूलाल पिता छोगा जाट निवासी लाखोला तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. जीवराज पिता गोपीलाल जाट निवासी लाखोला तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
3. जीतमल पिता गोपीलाल जाट निवासी रामपुरिया तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

---विपक्षीगण

उपस्थिति- अधिवक्ता प्रार्थीगण:- श्री हमेन्द्र सुवालका

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::


निर्णय

दिनांक:-02.03.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम लाखोला पटवार हल्का लाखोला तहसील सहाडा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2698 रकबा 1.51 हे0 किस्म बरानी तृतीय कुल कित्ता 01 कुल रकबा 1.51 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 344 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।


बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के खातेदार को अपनी सीमा का ज्ञान होना पत्थरगढी कराने का अधिकार है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।


  
उप खण्ड अधिकारी  
गंगापुर जिला भीलवाडा

1.

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम लाखोला पटवार हल्का लाखोला तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2698 रकबा 1.51 हे0 किस्म बरानी तृतीय कुल किता 01 कुल रकबा 1.51 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 344 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 600/- ( छः सौ रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 600/- ( छः सौ रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(विकास पंचोली)  
उप सखण्ड अधिकारी  
गंगापुर (जिला सहाड़ा)